भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2769
जिसका उत्तर मंगलवार, 15 मार्च, 2016 को दिया जाना है

डीजल के वाहनों पर प्रतिबंध

2769. श्री बी० सेनगुट्टुवन:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति तथा वातावरण में प्रदूषकों के उच्च स्तरों, जिनके परिणामस्वरूप फेफड़े संबंधी रोग हो रहे हैं, को देखते हुए दिल्ली तथा अन्य महानगरों में डीजल के वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार एक दशक से भी पुराने डीजल के सभी वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रदूषित शहरों में डीजल वाहनों के उपयोग से उत्पन्न समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी० एम० सिद्देश्वर)

(क) से (ग): जी, नहीं। दिल्ली और अन्य महानगरों में डीजल कारों की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एम सी मेहता बनाम संघ सरकार के मामले में दिनांक 16-12-2015 के अपने आदेश में निदेश दिया है कि एसयूवी और 2000 सीसी क्षमता वाली और इससे अधिक क्षमता की डीजल ईंधन का उपयोग करने वाली निजी कारों के एनसीआर में पंजीकरण पर 31 मार्च, 2016 तक प्रतिबंध रहेगा।

(घ): ऑटो ईंधन नीति पर विशेषज्ञ समिति ने बीएस V और बीएस VI उत्सर्जन मानकों को क्रमश: 2020 और 2024 तक पूरे देश में कार्यान्वित करने की सिफारिश की है। तथापि, हवा की बिगड़ती गुणवत्ता को देखते हुए, इस समय-सीमा को कम करने के अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर सहमति बनी है। इस संबंध में, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2019 को अथवा उसके बाद विनिर्मित श्रेणी एम और श्रेणी एन के नए वाहनों के लिए तथा 1 अप्रैल 2020 को अथवा उसके पश्चात् विनिर्मित मौजूदा वाहनों के लिए व्यापक उत्सर्जन मानक भारत स्टेज (बीएस V) तथा 1 अप्रैल 2021 तक अथवा उसके बाद विनिर्मित श्रेणी एम और श्रेणी एन के नए वाहनों के लिए, तथा 1 अप्रैल 2022 को अथवा उसके पश्चात् विनिर्मित मौजूदा वाहनों के लिए व्यापक उत्सर्जन मानक भारत स्टेज (बीएस VI) अधिदेशित करने के लिए अपनी वेबसाइट पर मसौदा अधिसूचना अपलोड की है।

*****